सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 11, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 02, 2021 *Kartika 11, Tuesday , Saka 1943- November 02, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2021

जी.एस.आर.274:– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/ जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 15-04-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त(जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 15, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) विद्यमान क्रम संख्यांक 27 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी;

(ख) विद्यमान क्रम संख्यांक 47 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी;

(ग) विद्यमान क्रम संख्यांक 72 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“

72.	आईएसआई सत्यापन के साथ 33 केवी तक के वितरण के लिए इन्सुलेटर्स

”;

(घ) विद्यमान क्रम संख्यांक 75 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

75.	132 केवी और इससे ऊपर के स्तर के लिए ईएचवी पावर ट्रांसफार्मर्स को छोड़कर पावर और वितरण ट्रांसफार्मर

"; और

(ङ) विद्यमान क्रम संख्यांक 79 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

[सं.एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. पृथ्वी,
शासन सचिव।
वित्त (बजट) विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।